गन्ने के परिवहन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट – ईओआई)

एचपीसीएल बायोफ्युएल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. – 09, श्री सदन, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना – 800013 में स्थित है, निर्दिष्ट गन्ना क्रय केन्द्रों (सीपीसी) से, एचबीएल सुगौली एवं लौरिया संयंत्र तक गन्ने का परिवहन करने के लिए, ऐसे इच्छुक संगठनों/कम्पनी/संस्था/व्यक्तिगत पक्ष/पार्टनरशिप फर्म आदि से एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (ईओआई), यानि – इच्छा की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, जिन्हें ऐसे कार्य करने का पूर्व-अनुभव है।

पृष्ठभूमि:

एचपीसीएल बायोफ्युएल्स लिमिटेड के स्वामित्व में, बिहार राज्य में प्रचालित दो चीनी की मिलें हैं, जिनमें से एक मिल सुगौली, पूर्वी चम्पारण में तथा दूसरी मिल लौरिया, पश्चिम चम्पारण में स्थित है। गन्ने की फसल के उत्पाद का परिवहन एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें 80 से 90 मिलियन टन गन्ना प्रत्येक फसल में काटा जाता है तथा एचबीएल की मिलों में परिवहन साधनों द्वारा पहुँचाया जाता है। इस कार्य में, गन्ने को खेत ही में काटा एवं लोड किया जाता है, फिर ट्रकों/ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इसे भर कर मिलों तक भेजा जाता है तथा अनलोड किया जाता है। इस पूरे कार्य की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है, समन्वयन किया जाता है तथा क्रियान्वित किया जाता है, ताकि मिलों में इन बहुमूल्य संसाधनों को नष्ट होने एवं सूखने से बचाया जा सके।

किसानों को सहायता देने हेतु, सरकार ने मिलों के लिए, गन्ना क्रय केन्द्रों (सीपीसी) से ही गन्ने का क्रय करना अनिवार्य किया है। सीपीसी एक ऐसा स्थान है, जहाँ पर गन्ने का क्रय किया जाता है, तौला जाता है, ट्रकों / ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से मिलों को आपूर्ति की जाती है। ये क्रय केन्द्र (सीपीसी), मिलों के आसपास के ग्रामों में स्थित होते हैं। एचबीएल के प्रतिनिधि प्रत्येक सीपीसी में तैनात रहते हैं, ताकि ट्रकों/ट्रैक्टरों पर गन्ने की समयानुसार एवं सुरक्षित लोडिंग सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक सीपीसी में मौलिक स्तर के शेड एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहती है।

यह ईओआई(EOI), इच्छुक पक्षों से आमंत्रित है, ताकि उन्हें चिह्नित एवं शॉर्टलिस्ट करके निविदा आमंत्रित किया जा सके तथा विभिन्न निर्दिष्ट क्रय केन्द्रों से संबंधित मिलों के मुख्य द्वार तक गन्ने के परिवहन के कार्य के लिए बोलीदाताओं को अंतिमीकृत किया जा सके।

कार्य के अवसर:

सफल बोलीदाता, निर्दिष्ट क्रय केन्द्रों से संबंधित एचबीएल की मिलों तक गन्ने के परिवहन के कार्य से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा, जिनमें निम्नलिखित भी हैं:

1. निर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर गन्ने की लोडिंग करना।
2. निर्दिष्ट क्रय केन्द्रों से संबंधित एचबीएल की मिलों के मुख्य द्वार तक गन्ने का सुरक्षित परिवहन करना।
3. एचबीएल की मिल पर गन्ने की अनलोडिंग करना।

क्रय केन्द्रों (सीपीसी) की सूची:

एचबीएल की मिल से संबंधित निर्दिष्ट क्रय केन्द्रों (सीपीसी) के विवरण निम्नवर्णित हैं:

सुगौली मिल

क्र. सं.	क्रय केंद्र का नाम	सुगौली मिल से दूरी, कि.मी. में (एक तरफा दूरी)
1	रानी छपरा	35.00
2	कुशाहार	45.00
3	सफई	45.00
4	अजगरी	22.00
5	हरकैना	29.00
6	शंकर सरैया	41.00
7	भादा	35.00
8	रामगढ़वा	17.00
9	भेरीहरवा	33.00
10	कटकेनवा	46.00
11	शिवराहा	24.50
12	बलुवा	23.00
13	बेलवा पीपरपाती	25.00
14	गैघाट	30.00
15	मानिकपुर	32.00
16	घिवाधार	23.00
17	मटियारिया	26.00

लौरिया मिल

क्र. सं.	क्रय केंद्र का नाम	लौरिया मिल से दूरी, कि.मी. में (एक तरफा दूरी)
1	हमीरा	13.00
2	मझौवा	13.30
3	रामपुर भेलिया	17.50
4	बड़वा सानी	11.20
5	डुमरी	24.80
6	बगही	15.50
7	प्रयागवा	18.25
8	लौकरिया	20.50
9	बीबी बनकटवा	19.00
10	जैनीटोला	11.30
11	बलुवा	20.50

टिप्पणी:- क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ अथवा घट भी सकती है, जिसकी सूचना दी जाएगी।

पात्रता के मापदंड:-

इस ईओआई (EOI) के प्रतिभागियों को निम्नलिखित पात्रता के मापदंडों की पूर्ति करनी होगी तथा तद्संबधित सहयोगी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1. आवेदक कोई व्यक्ति, प्रोपराइटरशिप, कम्पनी, साझेदारी, ट्रस्ट, असोसिएशन अथवा कोई एक सोसाइटी हो सकती है। फॉर्म के साथ **पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत** की जानी चाहिए।
2. ईओआई के आवेदक को उस जिले का निवासी होना होगा, जिस जिले के क्रय केंद्र के लिए वे ईओआई प्रस्तुत कर रहे हों तथा वे अपने **आवास का एक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे**, जैसे कि – वोटर आईडी / आधार आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / आवास प्रमाण-पत्र, जो कि उक्त दावे का समर्थन करता हो।
3. ईओआई का आवेदन, परिवार के **केवल एक सदस्य तक सीमित रहेगा**, यानि – किसी भी परिवार का केवल एक ही सदस्य इस ईओई को प्रस्तुत करने के योग्य होगा। परिवार की परिभाषानुसार, वह व्यक्ति स्वयं, उनके जीवनसंगी एवं संतानें होंगी।

4. इच्छुक आवेदक, अपने आवास के जिले में **अधिकतम दो क्रय केन्द्रों** के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. सभी इच्छुक पक्षों को इस ईओआई के योग्य होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करनी होगी:

आवश्यक वाहन का विवरण	स्वामित्व की स्थिति	योग्यता हेतु आवश्यक वाहनों की **न्यूनतम** संख्या
ट्रक (न्यूनतम 15 एम.टी. क्षमता) / ट्रैक्टर ट्रॉली (न्यूनतम 8 एम.टी. क्षमता)	अपनी/ संबंधित	03

इस ईओआई के लिए, निम्नलिखित नियमों के अनुसार, यह तभी माना जाएगा कि ट्रक/ट्रैक्टर का स्वामित्व आवेदक का ही है -

क. जब वह ट्रक/ट्रैक्टर, उस फर्म/कम्पनी के नाम पर पंजीकृत हो।

ख. जब वह आवेदक, फर्म का प्रोपराइटर, उक्त ट्रक/ट्रैक्टर का पंजीकृत स्वामी हो।

6. किसी संबंधित ट्रक/ट्रैक्टर के मामले में, आवेदक को ईओआई में उल्लिखित सभी ट्रक/ट्रैक्टरों की आरसी बही (RC Copy) की अद्यतित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। **आवेदक उन ट्रक/ट्रैक्टरों के स्वामियों से रु.100 के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र, उस ईओआई आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।** आवेदक केवल प्रचालन में प्रयुक्त होने वाले ट्रकों की सूचना देगा।

7. ईओआई में उद्धृत, सभी स्वामित्व वाले एवं संबंधित ट्रक/ट्रैक्टरों के वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतियों को ईओआई आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. आवेदक के पास, गन्ने/सामग्रियों के परिवहन के कार्य का **न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव** होना चाहिए। आवेदक से अनुरोध है कि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन्हें जुलाई 31, 2023 से लेकर, पिछले 7 वर्षों के दौरान किए गए परिवहन कार्य के क्रय-आदेश/ कार्य-आदेश / कार्य-पूर्ति प्रमाण-पत्र / इन्वॉयस की प्रति को प्रस्तुत करना होगा।

9. सहयोगी दस्तावेजों के साथ, आवेदन को लिफाफे में सीलबंद करके प्रस्तुत करना होगा। खुली अवस्था में प्राप्त आवेदन को, आगामी मूल्यांकन किए जाने से पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

ईओआई आवेदन:-

1. इच्छुक पक्षों को अपने आवेदन, पूरी तरह से भर कर एवं हस्ताक्षरित करके, साख के दस्तावेजों के साथ संलग्नित करके प्रस्तुत करना होगा। आपके संदर्भ हेतु आवेदन की एक प्रति संलग्नित है। आवेदन के फॉर्मों को एचबीएल की वेबसाइट https://www.hpclbiofuels.co.in/home.php से "**What's New**" मद में से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. प्रतिभागियों को उनके सहयोगी दस्तावेजों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

3. एचबीएल द्वारा, प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली में प्रतिभागिता हेतु, शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतिभागियों को निविदा पत्र (टेंडर इन्क्वायरी) भेजी जाएगी।

4. निविदा पत्र में योग्यता प्राप्त करने वाले, कुल मिला कर L-1 बोली लगाने वालों को, खरीद आदेश (Purchase Order) / स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) प्रदान किए जाएंगे।

अस्वीकरण:

1. यह ईओआई कोई अनुबंध/खरीद आदेश नहीं है। इस ईओआई का उद्देश्य है, इच्छुक पक्षों को चिह्नित करना तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में प्रतिभागिता करने हेतु, उनके पास निविदा पत्र को भेजना।

2. यह ईओआई केवल 01 (एक) पेराई सत्र (Crushing Season), यानि – **अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024** तक की अवधि के लिए है।

3. जो आवेदक योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें रद्द/अस्वीकृत माना जाएगा।

4. पिछले किसी वर्ष के किसी आवेदक के बारे में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आगे के मूल्यांकन में विचार नहीं किया जाएगा।

5. इस ईओआई के जारीकरण का यह अर्थ नहीं होगा कि, एचबीएल के लिए पूर्व-योग्यता प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करना एवं उन्हें निविदा पत्र भेजना बाध्यकारी होगा।

6. एचबीएल को पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा रद्द कर सकें तथा बिना किसी दायित्व वहन के एवं बिना कोई कारण बताए ही, किसी भी समय चयन प्रक्रिया का अंत कर दे।

प्रश्न:

आवेदकगण कृपया ध्यान दें कि, ईओआई से संबंधित किसी भी प्रश्न का स्पष्टीकरण, फोन/ पत्र/ ई-मेल के माध्यम से निम्नवर्णित संबंधित अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है:

1. **सुगौली में:** क्रय केंद्र (सीपीसी सेंटर), एचबीएल सुगौली चीनी मिल, सुगौली रेलवे स्टेशन के पास, जिला - पूर्वी चंपारण, बिहार – 845456.
2. **लौरिया में:** क्रय केंद्र (सीपीसी सेंटर), एचबीएल लौरिया चीनी मिल, ग्राम लौरिया, लौरिया बगहा राजमार्ग, जिला - पश्चिमी चंपारण, बिहार - 845453.
3. **पटना मुख्यालय में** : श्री रौशन कुमार, मोबाइल सं. - .82718 17227, ई-मेल :- rakumar@hpclbiofuels.co.in, प्लॉट सं. -09, श्री सदन, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना – 800013

ईओआई का जमाकरण:

इच्छुक पक्ष अपने लिखित "ईओआई" को, **अगस्त 31, 2023 के 15.00 बजे तक**, बंद लिफाफे पर **"गन्ने के परिवहन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति"** लिख कर, निम्नलिखित को सम्बोधित करते हुए, उनके पास जमा दे सकते हैं:-

प्रमुख – क्रय (प्रोक्योरमेंट),
एचपीसीएल बायोफ्युएल्स लिमिटेड,
प्लॉट सं. – 09, श्री सदन,
पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना – 800013
टेलि. : 0612 - 2260185

ईओआई (EOI) आवेदन पत्र

1. पार्टी/फर्म/कंपनी का नाम :_____

2. मालिक (प्रोपराइटर) का नाम :_____

3. पत्राचार का पता : _____

_____

4. मोबाइल नंबर :_____

5. ई-मेल आईडी:_____

6. प्रस्तावित वाहनों का विवरण:

सुगौली मिल, पूर्वी चम्पारण, 845454

क्रम सं.	क्रय केंद्र का नाम	सुगौली मिल से दूरी, कि.मी. में (एक तरफा दूरी)	प्रस्तावित ट्रैक्टर की संख्या	
			अपनी	संबंधित
1	रानी छपरा	35.00		
2	कुशाहार	45.00		
3	सफई	45.00		
4	अजगरी	22.00		
5	हरकैना	29.00		
6	शंकर सरैया	41.00		
7	भादा	35.00		
8	रामगढ़वा	17.00		
9	भेरीहरवा	33.00		
10	कटकेनवा	46.00		
11	शिवराहा	24.50		
12	बलुवा	23.00		
13	बेलवा पीपरपाती	25.00		
14	गैघाट	30.00		
15	मानिकपुर	32.00		
16	घिवाधार	23.00		
17	मटियारिया	26.00		

लौरिया मिल, पश्चिमी चंपारण, 845453

क्रम सं.	क्रय केंद्र का नाम	लौरिया मिल से दूरी, कि.मी. में (एक तरफा दूरी)	प्रस्तावित ट्रकों की संख्या		प्रस्तावित ट्रैक्टर की संख्या	
			अपनी	संबंधित	स्वामित्व	संबंधित
1	हमीरा	13.00				
2	मझौवा	13.30				
3	रामपुर भेलिया	17.50				
4	बड़वा सानी	11.20				
5	डुमरी	24.80				
6	बगही	15.50				
7	प्रयागवा	18.25				
8	लौकरिया	20.50				
9	बीबी बनकटवा	19.00	XXXX	XXXX		
10	जैनीटोला	11.30	XXXX	XXXX		
11	बलुवा	20.50				

स्वामित्व/संबंधित वाहनों का विवरण:

क्र सं	वाहन का प्रकार (ट्रक/ट्रैक्टर)	क्षमता मीट्रिक टन में	अपनी/संबंधित	पंजीकरण संख्या	आरसी बुक के अनुसार मालिक का नाम	इंजन नं.	चेसिस नं.
1							
2							
3							

महत्वपूर्ण नोट:

1. फॉर्म के साथ पैन कार्ड और निवास प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
2. उपरोक्त उद्धृत वाहनों की वैध आरसी बुक की स्व-प्रमाणित प्रति विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
3. संलग्न ट्रकों/ट्रैक्टरों के लिए ट्रक के मालिकों से 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र जमा कराया जाना है। त्वरित संदर्भ के लिए प्रारूप इसके साथ संलग्न है ।
4. 3 साल के अनुभव के प्रमाण के रूप में खरीद आदेश / कार्य आदेश / समापन प्रमाण पत्र / बिल की प्रति की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी है।
5. यदि किसी भी समय, इस आवेदन के साथ दी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज गलत/ झूठा पाया जाता है, तो आपकी आवेदन अस्वीकार कर दी जाएगी।

दिनांक :

स्थान: आवेदक के हस्ताक्षर

(बिहार राज्य में निर्धारित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

शपथ-पत्र

मैं / हम _____ , पुत्र /पुत्री श्री _____

निवासी_____

_____ ने गन्ने के परिवहन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन किया है, तथा सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक यह घोषणा करता / करती हूँ :

1. यह कि मैं/हम निम्नलिखित विवरण वाले ट्रकों/ट्रैक्टरों के मालिक हैं

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार (ट्रक/ट्रैक्टर)	क्षमता मीट्रिक टन में	पंजीकरण संख्या	इंजन संख्या	चेसिस संख्या

2. यह कि मैंने / हमने एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए ईओआई की वैधता तक मेसर्स _____ (पार्टी का नाम) के साथ उपरोक्त उल्लिखित ट्रक/ट्रैक्टर संलग्न किए हैं / संलग्न रखेंगे।

3. अनुबंध अवधि के दौरान, मै. _____ (पार्टी का नाम) के पास संबंधित क्रय केंद्र से मिल तक गन्ने के परिवहन के लिए उक्त वाहनों को संचालित करने और ऐसे संचालन के लिए विचार प्राप्त करने के सभी अधिकार होंगे।

साक्षी

सत्यापन

सत्यापित किया गया है कि उपरोक्त शपथ पत्र की जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

साक्षी

_____ पर _____ पर सत्यापित

नोटरी पब्लिक